न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 54/2016/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 30.6..2016
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 नन्ने मियां आत्मज रमजान खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम कडैयाबन तहसील छबडा जिला बांरा।
... अपीलार्थी

बनाम

1 बन्ने मियां आत्मज रमजान खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम कडैयाबन तहसील छबडा जिला बारां ।
2 दी स्टेट ऑफ राजस्थान।
....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री महेश शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 कम–1

–:::निर्णय:::–

दिनांक 21.12.2017

1 अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट कडैयाबन) छबडा जिला बारां मे रेस्पो0 कम–1 बन्ने मिंया द्वारा पेश किये प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बावत ग्राम कडैयाबन के खाता संख्या 170 वर्तमान प्रविष्टी नूरजहां पुत्री भंवरीबाई हि.1/2 नन्ने मियां पुत्र रमजान खां हि.1/2 जाति मुस. सा. देह (शेष खाता बदस्तूर) के स्थान पर शुद्ध प्रविष्टि नूरजंहा पुत्री भंवरीबाई हि.1/2 बन्ने मिया पुत्र रमजान खॉ हि.1/2 जाति मुस. सा0 देह (शेष खाता बदस्तूर) दर्ज किये जाने मे दिनांक 29.5.2015 को पारित आदेश से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश अपीलांट को नोटिस दिये बिना एंव सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित कर नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्तो की अवहेलना की है। रमजान खां ने अपने जीवनकाल मे ही अपने खाते की भूमि अपने पुत्रो को पृथक 2 तौर पर दान कर कब्जा संभला कर खाते बंधवादी थी। रमजानखां ने ग्राम कडैयाबन की ख0 नं0 363 की 9 बीधा 4 बिस्वा भूमि मे से अपना 1/2 हिस्सा भूमि अपीलांट नन्ने मिया को नियमानुसार दान करके कब्जा संभला कर नामा0 सं0 226 से अपीलांट के खाते दर्ज करवा दी थी तभी से अपीलांट उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। रमजान खां का वर्ष 1983 मे देहावसान हो गया उनके वारिस पांच पुत्र इब्राहीमखां, शहजाद मिया, नन्नेमियां, बन्नेमियां एवं भूरे मिया तथा चार पुत्रियां फातमा,जैतून,बतूल, एवं नन्नी बेगम थी। चौसाला जमाबंदी सं0 2037–40 मे पटवारी हल्का द्वारा गलती ने नन्नेमियां की जगह बन्नेमिंया दर्ज कर दिया था जिसे तहसीलदार छबडा के आदेश दिनांक 15.6. 2009 से दुरूस्त कर वापस अपीलांट नन्नेखां दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि राजस्व अभिलेख मे दुरूस्ती सक्षम न्यायालय के आदेश से की गई थी। उक्त आदेश से यदि रेस्पो0 असंतुष्ट था तो उसे सक्षम न्यायालय मे अपील पेश करना चाहिये था। धारा 136 के प्रावधानो के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व आदेशो को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट एवं

रेस्पो0 क्रम–1 सगे भाई है अपीलांट कभी भी कहीं गोद नहीं गया। वल्दीयत सदैव रमजान खां ही रही है मुस्लिम कानून मे गोद जाने का भी कोई प्रावधान नही है। अधीनस्थ न्यायालय को धारा 136 एलआरएक्ट मे दिनांक 22.11.1995 को संशोधन होने के उपरांत रेकार्ड मे संशोधन करने का कोई अधिकार नही था माननीय राजस्व मण्डल द्वारा 2001 आरआरडी पेज 409 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 2015 (1) आरआरटी, 10 (एससी) के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय पारित आदेश अवैध एवं विद आउट जुरिसडिक्शन होने से निरस्तनीय है साथ ही आदेश अवैध एवं विद आउट जुरिसडिक्शन होने से मियाद का प्रश्न गौण हो जाता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे बसूरत दीगर अपीलांट को पक्षकार बनाया जाकर बाद जवाब देही प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने के लिये अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

2 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि खातेदार रमजान खां ने अपने जीवनकाल मे ही अपने खाते की भूमि अपने पुत्रो को पृथक 2 तौर पर दान कर कब्जा संभला कर खाते बंधवादी थी। ख0 नं0 363 की 9 बीधा 4 बिस्वा भूमि मे से अपना 1/2 हिस्सा भूमि अपीलांट नन्ने मिया को दी गई जो नामा0 सं0 226 से अपीलांट के खाते दर्ज हुई। रमजान खां का वर्ष 1983 मे देहावसान हो गया। जमाबंदी सं0 2037–40 मे पटवारी हल्का द्वारा गलती ने नन्नेमियां की जगह बन्नेमिंया दर्ज कर दिया था जिसे तहसीलदार छबडा के आदेश दिनांक 15.6.2009 से दुरूस्त कर वापस अपीलांट नन्नेखां दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि राजस्व अभिलेख मे दुरूस्ती सक्षम न्यायालय के आदेश से की गई थी। उक्त आदेश से यदि रेस्पो0 असंतुष्ट था तो उसे सक्षम न्यायालय मे अपील पेश करना था। धारा 136 के प्रावधानो के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व आदेशो को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध एवं विद आउट जुरिसडिक्शन होने से निरस्तनीय है साथ ही आदेश अवैध एवं विद आउट जुरिसडिक्शन होने से मियाद का प्रश्न गौण हो जाता है। अपने कथन के समर्थन मे आरएलडब्लू 2003 (एससी) पेज 509, आरएलडब्लू 2005 (1) (राज.) पेज 131, आरआरटी (एससी) 2015 (1)पेज 10,, आरआरडी 2001 पेज 409 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

3 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बहस मे बताया कि प्रकरण मे पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जाना न्यायोचित है ताकि अधीनस्थ न्यायालय पक्षकारान को सुनकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित कर सके।

4 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख राजस्व रिकार्ड का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 क्रम–1 पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः प्रकरण मे गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किये जाने से पूर्व मियाद के प्रश्न का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही रहा है अतः उसे सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। लिहाजा जेरअपील आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। पत्रावली का गुणावगुण पर अवलोकन करने से प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र सरकार जरिये तहसीलदार छबडा के विरूद्ध पेश कर विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर नन्नेमियां के स्थान पर पूर्वानुसार बन्नेमियां दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 29.5.2015 को स्वीकार कर जेरअपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट के इस कथन की पुष्टि होती है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे प्रश्नगत धारा 136 एलआरएक्ट की उपरोक्त कार्यवाही मे पक्षकार

नही रहा है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई एंव पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही जेर अपील आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने से जेरअपील आदेश दिनांक 29.5.2015 को न्यायोचित नहीं माना जा सकता। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 मे गलतियों के शुद्धिकरण हेतु निहित प्रावधान अनुसार–**''भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर मे अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख मे किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नही की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नही दे दिया गया हो''।** अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवेचित कानूनी प्रावधान पर गौर किये बिना विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड मे नन्हेमिंया के स्थान पर बन्नेमिया पुत्र रमजान खां हि. 1/2 जाति मुस. सा. देह (शेष खाता बदस्तूर) दुरूस्त कर अमल दरामद किये जाने का जेरअपील आदेश दिनांक 29.5.15 पारित कर त्रुटि की है। उक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील आदेश दिनांक 29.5.2015 विधिविरूद्ध होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट एवं रेस्पो0 को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

5 परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला द्वारा प्रकरण सं0 15/2015 प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान बन्नेमिया बनाम सरकार मे पारित आदेश दिनांक 29.5.2015 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट एवं रेस्पो0 को विधिवत सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 21.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा